कार्यालय, उच्च न्यायालय विधिक सेवा–स0 बैंच, ग्वालियर (म.प्र.)

## सूचना

# दिनांक 12 मार्च 2022 शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में।

दिनांक 12 मार्च 2022 शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।

राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीय आपराधिक प्रकरण, परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एम.ए. प्रकरण (मोटर दुर्घटना दावा क्षतिपूर्ति अपील प्रकरण), वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण , भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जल कर/बिल संबंधी प्रकरण (अशमनीय मामलों को छोडकर), सेवा मामलें जो सेवानिवृत्ति संबंधी लाभों से संबंधित है, उच्च न्यायालय में लंबित राजस्व प्रकरण, दीवानी मामले तथा अन्य समस्तं प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जावेगा।

अतः पक्षकारों एवं अधिवक्ताओं को सूचित किया जाता है कि यदि वे अपने उपयुक्त प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत के माध्यम से कराना चाहते है, वे यथाशीघ्र प्रकरणों की सूची कार्यालय में प्रदान करने का कष्ट करें अथवा कार्यालयीन ई–मेल आई.डी. **laohcgwalior@gmail.com** में प्रेषित करने का कष्ट करें।

28/01/22

(बृजेन्द्र सिंह भदौरिया)
विधिक सहायता अधिकारी